TWENTY RUPEES

(15)

R.42 12-III/14

839
5.12.14

(1).अमृतलाल गुप्ता पुत्र श्री रामसुन्दर गुप्ता

(2).सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामसुन्दर गुप्ता

(3).रमेश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामसुन्दर गुप्ता

तीनो निवासी ग्राम अमरपुर,तहसील बहरी,जिला–सीधी(म.प्र.)

---**आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण**

विरूद्ध

(1).बिहारीलाल गुप्ता पुत्र श्री जोखई गुप्ता

(2).तेजभान गुप्ता पुत्र श्री जोखई गुप्ता

(3).बाला प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जोखई गुप्ता

(4).राजू गुप्ता पुत्र श्री जोखई गुप्ता

सभी निवासी ग्राम अमरपुर, तहसील बहरी,जिला–सीधी(म.प्र.)

---अनावेदकगण/गैरपुनरीक्षणकर्तागण

श्री.. विवेक शर्मा .एड के द्वारा आज दिनांक 5-12-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

3894
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
6.12.14

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश दिनांक 05/11/14 जो रा0प्र0क्र0–07अ–12/14–15 जो राजस्व निरीक्षक मण्डल देवगवॉ, तहसील बहरी, जिला सीधी द्वारा पारित किया गया।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरणः–

ग्राम अमरपुर, तहसील बहरी, जिला–सीधी स्थित आराजी खसरा क्र.–230के भूमिस्वामी अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्तागण के स्वामित्व की भूमि है, उक्त भूमि के सीमांकन बावत् आवेदन अनावेदक क्र0–1 द्वारा प्रस्तुत करने पर राजस्व निरीक्षक मण्डल देवगवॉ द्वारा सीमांकन तत्कालीन पटवारी अरविन्द कुमार द्विवेदी द्वारा कराया गया, परन्तु उसके बाद चोरीछिपे पुनः उसी आवेदन पर दूसरा सीमांकन अनावेदकगण को लाभ पहुॅचाने के आशय से स्वयं किया गया, और उक्त सीमांकन की कोई सूचना आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण सहित किसी भी

14-5-15

14-5-15

आदेश

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। समय-समय आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं। सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

आदेश

शाक्षेमुग्वा-80-फासेग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.